

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./62/2025/

दिनांक : 20 SEP 2025

: : आदेश : :

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन सं. रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/L/A-4(i)(a)113/2024/894 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड- तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

| S. N. | MERIT NO. | ROLL NO. | NAME OF CANDIDATE WITH FATHER'S NAME SH./SMT/MS | ADDRESS                                                                                                                      | DOB        | ORIGINAL CATEGORY | SELECTED CATEGORY | GENDER |
|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1     | 7         | 59390    | SUNNY SAIN S/O VINOD KUMAR SAIN                 | 703, SANJAY NAGAR DCM AJMER ROAD, JAIPUR-302021                                                                              | 18-06-2002 | OBC-NCL           | GEN               | M      |
| 2     | 14        | 57887    | KOMAL KHINCHI D/O ROOP NARAYAN KHINCHI          | P.NO. 1-A-35, SUBHASH COLONY, SHASTRI NAGAR, JAIPUR                                                                          | 20-03-1994 | SC                | GEN               | F      |
| 3     | 19        | 65741    | PAWAN KUMAR S/O RATI RAM                        | DHANI AHIRA WALI, WARYAM KHERA, ABHOHAR, FAZILKA, PUNJAB AT PRESENT WARD NO. 27, RAMESH COLONY, BASANTI CHOWK, SRIGANGANAGAR | 25-10-1998 | GEN               | GEN               | M      |
| 4     | 79        | 53860    | ASHOK KUMAR S/O ANANT RAM                       | HOUSE NO. 85, NEAR MAHILA PARK, PURANI ABADI, SRIGANGANAGAR-335001                                                           | 06-03-2003 | OBC-NCL           | OBC               | M      |
| 5     | 126       | 59889    | SONAM JAISWAL D/O SHYAM LAL                     | MOHALLA SHIVPURA, RATTI KA KUAN, ALWAR-301001                                                                                | 11-01-1993 | OBC-NCL           | GEN               | F      |

- सभी नियुक्तियाँ आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) की संयुक्त परीक्षा 2025 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीक्षाकाल एकसाथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

*Smr*  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
अलवर (राज०)

5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण के सम्बंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. अभ्यर्थी को दिनांक 29.09.2025 से पूर्व कार्यालय कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उपरोक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

sd-  
( अनन्त भण्डारी )  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2025/ 32407-412

दिनांक : 20 SEP 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री/सुश्री/श्रीमती.....  
.....को [जिसे रजिस्टर्ड  
डाक]।
3. ✓ सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को जिला न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित अभ्यर्थी की ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करने हेतु।
4. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

Jm3an  
20.9.2025  
( अनन्त भण्डारी )  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र